राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः- प.6(10)राज-6/99/7 जयपुर, दिनांकः- 15 फरवरी, 2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं0-15) की धारा 102 के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xlv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आवंटन) नियम, 1957 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (गोशालाओं को भूमि का आवंटन) (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.-राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि का आवंटन) नियम, 1957, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 5 के उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "कलेक्टर अपनी सिफारिशों सहित आवेदन को या तो आयुक्त को अग्रेषित कर देगा अथवा आवेदन को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, खारिज कर देगा। अग्रेषित करने से पूर्व" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कलेक्टर आवेदन को या तो ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, खारिज कर देगा या आवेदन को स्वीकृत करेगा। आवेदन स्वीकार करने से पूर्व" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 7 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "कलेक्टर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 8 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 8 की शर्त संख्या (7) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड आयुक्त की पूर्व मंजूरी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

शासन उप सचिव, राजस्व